भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 555
28 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

हरियाणा में आवास आवश्यकता

555. श्री वरुण चौधरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है या आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) हरियाणा में आवास आवश्यकता के संदर्भ में वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं और लंबित आवेदनों का निपटारा कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू ने मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मांग सर्वेक्षण करने का निदेश दिया गया था। वैध मान्य मांग के आधार पर, परियोजना प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था

ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा आगे केंद्रीय सहायता की स्वीकृति दी जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैध मान्य 112.24 लाख आवासों की मांग की तुलना में, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 114.30 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 18.11.2024 तक 88.02 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

मंत्रालय हरियाणा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सभी परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दे चुका है तथा अब कोई भी परियोजना अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

****